"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—कार्तिक 9, शक 1936

भाग 3 (1)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला कोण्डागांव

कोण्डागांव, दिनांक 17 जुलाई 2014

[छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स.प. को/परिसमापन/2014/449.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103/दिनांक 28-02-2013 के द्वारा बुनकर सहकारी समिति मर्या. बडेकनेरा विकासखण्ड कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयन क्रमांक/AR/KNK/02 दिनांक 16-08-1989 है, को छ.ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. नामदेव, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 17-07-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आशीष शर्मा,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2014

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अंतर्गत]

क्रमांक/स.प.ना./परि./2014/389.—कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/स.प.ना./परि./2013/221 नारायणपुर, दिनांक 12-06-2014 द्वारा 08 अकार्यशील एवं निष्क्रीय सहकारी समितियों को कारण बताओ पत्र, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत प्रेषित किया गया था कि वे सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर साक्ष्य सहित समिति के कारोबार की संचालन प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जायेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में किसी भी समिति द्वारा उनके कारोबार प्रक्रिया को निरंतर बनाये रखने संबंधी न तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही किसी प्रकार का निवेदन किया गया है कि समिति को परिसमापन में न लाया जाय. जिससे मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि निम्न वर्णित सहकारी समितियां भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रीय तथा अकार्यशील है.

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	समिति का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	विकासखण्ड (4)	परिसमापक का नाम एवं पद (5)
1.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सह समि. मर्या, नारायणपुर	464/27-4-2002	नारायणपुर	श्री हेमंत कुमार कुर्राम (उप-अंके.)
2.	माड़िया मत्स्य पालन सह समि. मर्या, गुदाडी	509/13-4-2006	ओरछा	श्री टी. आर. नागेश (व.स.नि.)
3.	माँ दंतेश्वरी मछुआ सह समि. मर्या. गौरवण्ड	526/09-08-2007	नारायणपुर	श्री पी. एस. ध्रुव (उप-अंके.)
4.	श्री महिमा महिला उद्योग सह समि. मर्या., धाड़ाई	521/29-03-2007	नारायणपुर	श्री टी. आर. नागेश (व.स.नि.)
5.	नटराज दोनापत्तल सह समि. मर्या. उड़िदगांव	522/29-03-2007	नारायणपुर	श्री हेमन्त कुमार कुर्राम (उप-अंके.)
6.	विवेकानन्द उद्वहन सिंचाई सह समि. मर्या पालकी	01/06-10-2009	नारायणपुर	कु. यामिनी ओट्टी (उप-अंके.)
7.	विवेकानन्द उद्वहन सिंचाई सह समि. मर्या. पुसागांव	02/06-10-2009	नारायणपुर	कु. यामिनी ओट्टी (उप-अंके.)
8.	युवा शिक्षित बेरोजगार सह समि. मर्या. नारायणपुर	478/23-06-2003	नारायणपुर	श्री पी. एस. ध्रुव (उप-अंके.)

अतएव मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर, जिला नारायणपुर, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04-5-2012 एवं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करते हुये क्रमांक 05 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 10-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी की जा रही है.

एस. एन. बघेल,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 24 सितम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2014/552.—प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्या. लखनपुर पंजीयन क्रमांक 2126 दिनांक 18-07-2007 को इस कार्यालय के सूचना पत्र क्रमांक विधि/2011/426 अम्बिकापुर दिनांक 03-06-2011 के द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) (ग) के अंतर्गत "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया था. जिसके जवाब में उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच में यह तथ्य पाया गया कि संस्था पंजीयक द्वारा निर्धारित कंडिका क्रमांक 08 से 11 तक का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रही है. चूंकि संस्था द्वारा पंजीयक द्वारा निर्धारित कंडिका का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य है.

अतः मैं ए. के. मिंज, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्या. लखनपुर को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्रीमती दीपा तिर्की, स.वि.अ. लखनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. मिंज,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक/1559/उपरा/परि./2014.—वस्तुतः गायत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र. 42, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/608/उपरा/परि./2013, राजनांदगांव दिनांक 12-7-2013 जारी किया कि आपकी संस्था के गठन एवं पंजीयन तिथि दिनांक 19-5-1958 से दिनांक 12-7-2013 तक की अवधि 28 वर्ष 01 माह 23 दिवस में संस्था के समस्त विकास कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा संस्था ने कार्य करना लगभग बंद कर दिया है जिसे अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बाद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में दिनांक 02-8-2013 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था ने अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स.सा. 2013-14/1418 दिनांक 31-7-2013 के कंडिका क्रमांक 02 में यह तथ्य बताया है कि संस्था के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28-7-2013 को सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि संस्था ने सभी प्रकार का विकास कार्य पूर्ण कर लिए हैं तथा कोई कार्य शेष नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था के परिसमापन एवं पंजीयन निरस्तीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है, संबंधी तथ्य अंकित किया है, के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर, दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. के शक्तियों का उपयोग करते हुए गायत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव पं. क्र. 42, जिला राजनांदगांव को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के विहित प्रावधान के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के

प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्रमांक/उपंबि/परि./2014/1938.—लोकबन्द हरिजन मछुवा सहकारी समिति मर्या. लोकबन्द पंजीयन क्रमांक 3496 दिनांक 19-01-1993 को श्री एन. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा एवं परिसमापक द्वारा पुनर्जीवित किये जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक दिनांक 27-09-2014 को की गई है, कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करेगी. तत्संबंध में श्री सखाराम डाहिरे अध्यक्ष लोकबन्द हरिजन मछुवा सहकारी समिति मर्या. लोकबन्द के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है. अत: सदस्यों के हित में श्री एन. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा एवं परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत लोकबन्द हरिजन मछुवा सहकारी समिति मर्यादित लोकबन्द पंजीयन क्रमांक 3496 दिनांक 19-01-1993 विकासखंड कोटा, जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तत्कालिक संचालक मंडल को अधिकृत करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक/उपंबि/परि./2014/1958.—सृष्टि कामगार सहकारी समिति मर्या. सीपत पंजीयन क्रमांक 248 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1554 दिनांक 06-09-2014 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर सृष्टि कामगार सहकारी समिति मर्या. सीपत, पंजीयन क्रमांक 248 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70(2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 8 जुलाई 2014

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2014/537.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्र./उपकां/परिसमापन/09-10/546 दिनांक 03-08-2010 में आंशिक संशोधन करते हुए छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ.ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03/रायपुर दिनांक 04-05-12 द्वारा वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए परिसमापित नवज्योति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सत्यानंदपल्ली, पंजीयन क्रमांक 495 का परिसमापक श्री नेताम के स्थान पर वर्तमान में पदस्थ प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी पखांजूर (कोयलीबेड़ा) को नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 8 जुलाई 2014

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2014/538.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्र./उपकां/परिसमापन/09-10/730 दिनांक 16-11-2009 में आंशिक संशोधन करते हुए छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ.ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03/रायपुर दिनांक 04-05-12 द्वारा वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए परिसमापित ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. पानावार, पंजीयन क्रमांक 494 का परिसमापक श्री नेताम के स्थान पर वर्तमान में पदस्थ प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी पखांजूर (कोयलीबेड़ा) को नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 8 जुलाई 2014

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2014/539.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्र./उपकां/परिसमापन/09-10/730 दिनांक 16-11-2009 में आंशिक संशोधन करते हुए छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ.ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03/रायपुर दिनांक 04-05-12 द्वारा वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बारदा, पंजीयन क्रमांक 460 का परिसमापक श्री नेताम के स्थान पर वर्तमान में पदस्थ प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर (कोयलीबेड़ा) को नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2014/813.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013-14/515 दिनांक 04-07-2014 द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कोदागांव, पंजीयन क्र. 548 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे की कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था. सोसाइटी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि संस्था पंजीयन के समय से ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन कर रही है किन्तु दुकान का आवंटन समिति के नाम पर

परिवर्तन नहीं होने के कारण अकार्यशील दर्शित हो रही है. समिति का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिए किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है. सोसाइटी ने इसका कारण स्वसहायता समूह से नाम परिवर्तन कराने हेतु खाद्य शाखा कांकेर को आवेदन प्रस्तुत करना बताया गया है. उक्त सोसाइटी का उद्देश्य केवल उचित मूल्य की दुकान संचालन करना नहीं है बल्कि उसके अन्य कई उद्देश्य भी है, जिसके बारे में सोसाइटी अपने जवाब में मौन है. उक्त सोसाइटी के जवाब व उद्देश्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सोसाइटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. इससे मेरी स्पष्ट राय है कि समिति वर्तमान में दुकान का संचालन नहीं कर रही है अर्थात् दुकान का आवंटन उनके नाम से नहीं है. इस प्रकार समिति का जवाब संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं है. उक्त सोसाइटी ने समिति उपविधि अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः मैं श्री एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ.ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, प्रयोग करते हुये उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूं तथा धारा 70 के अन्तर्गत श्री जगदीश मरकाम सहकारिता विस्तार अधिकारी अंतागढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ.ग.)
बुनकर संघ भवन, स्टेशन रोड, संतरा बाड़ी दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 24 जुलाई 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/873.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1169 दिनांक 05-09-05 के द्वारा आनन्द गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जुनवानी, पंजीयन क्रमांक 101 संस्था का परिसमापक श्री पी. के. जैन, स.वि.अ. दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. जैन, स.वि.अ. के निलंबन हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री पी. के. पाण्डे, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-07-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/1014.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु./परि./87 दिनांक 22-01-13 के द्वारा रजनीगंधा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बोरसी, पंजीयन क्रमांक 79 के परिसमापक श्री बी. एल. राणा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री बी. एल. राणा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग का स्थानांतरण उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कवर्धा हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. आर. गजभिये, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग को रजनीगंधा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बोरसी पंजीयन क्रमांक 79 का परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/1189.—द्वारिका गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. कोहका भिलाई पंजीयन क्रमांक-90 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु./परिसमापन/1001 दिनांक 31-03-1986 के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग की संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री पी. के. जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत द्वारिका गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. कोहका भिलाई पंजीयन क्रमांक-90 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

किरण गुप्ता,
उप-पंजीयक.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/685.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1001 दिनांक 31-3-86 के द्वारा नव साक्षर रिफिल उद्योग सहकारी समिति मर्या., उमदा पं. क्र. 2553, संस्था का परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनिग्ध मुखर्जी, सनि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/686.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/479 दिनांक 22-3-04 के द्वारा कौशल कामगार सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हारी पं. क्र. 2579, संस्था का परिसमापक श्री एन. एस. ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को नियुक्त किया गया था. श्री एन. एस. ठाकुर का सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनिश दीवान, उप अंके. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/687.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/229 दिनांक 25-2-93 के द्वारा प्रगतिशील खदान सहकारी समिति मर्या., चरौदा पं. क्र. 2150, संस्था का परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन का पदोन्नति हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनिश दीवान, उप अंके. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/688.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1001 दिनांक 30-3-86 के द्वारा क्रांति साबुन सहकारी समिति मर्यादित, भरर पं. क्र. 2283, संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधि. पाटन को नियुक्त किया गया था. सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन का पदोन्नति हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनिश दीवान, उप अंके. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/689.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1066 दिनांक 25-6-01 के द्वारा वृक्ष एवं खेती विकास सहकारी समिति मर्या., दुर्ग पं. क्र. 135, संस्था का परिसमापक श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री बी. एल. पटेल सहकारी निरी. का पदोन्नति हो जाने के कारण उनके स्थान पर एच. आर. साहू, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/690.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1001 दिनांक 31-3-86 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पतोरा, पं. क्र. 1814, संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर का पदोन्नति पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. रायपुर हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षण दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/691.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2041 दिनांक 12-08-86 के द्वारा साहू सहकारी समिति मर्या., बेकारी, पं. क्र. 1521, संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर का पदोन्नति पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. रायपुर हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षण दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/692.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2040 दिनांक 12-08-86 के द्वारा विविध धातु निर्माण सहकारी समिति मर्या., पतोरा, पं. क्र. 1930, संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर का पदोन्नति पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. रायपुर हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षण दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/693.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1001 दिनांक 31-3-86 के द्वारा चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्यादित, डिघारी, पं. क्र. 1733, संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर, स.वि.अ. का पदोन्नति हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंके. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/694.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1001 दिनांक 31-3-86 के द्वारा नीप ताड़ सहकारी समिति मर्यादित, खर्रा, पं. क्र. 1963, संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अभय कापरे, उप अंके. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/695.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5048 दिनांक 25-10-78 के द्वारा पिछड़ा वर्ग डेयरी विकास सहकारी समिति मर्या., दुर्ग, पं. क्र 2601, संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. सहकारिता विस्तार अधिकारी का पदोन्नति हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु. परिसमापन/696.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1994 दिनांक 6-9-04 के द्वारा टी. एण्ड डी को आपरेटिव्ह केटीन मर्या., भिलाई, पं. क्र. 2352, संस्था का परिसमापक श्री आर. सी. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था श्री आर. सी. वर्मा का सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री पी. के. पान्डे, सह निरी. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु. परिसमापन/697.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/100 दिनांक 31-7-86 के द्वारा एस. ई रेल्वे सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., दुर्ग, पं. क्र. 1951 संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, स.वि.अ. दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री एस. आर. चन्द्राकर का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु परिसमापन/698.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/480 दिनांक 22-3-04 के द्वारा नवोदय खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, सिरसाखुर्द, पं. क्र. 2567, संस्था का परिसमापक श्री एन. एस. ठाकुर, सहकारी निरी. (सेवा निवृत्त) को नियुक्त किया गया था. श्री एन. एस. ठाकुर सनि. सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/699.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1004 दिनांक 23-8-2000 के द्वारा बी.एस.पी. कर्म. उपभोक्ता सहकारी भण्डार, भिलाई, पं. क्र. 1877, संस्था का परिसमापक श्री एन. एस. ठाकुर, सहकारी निरीक्षक (से. नि.) को नियुक्त किया गया था. .... हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री ए. के. सिंह, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/700.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1343 दिनांक 2-8-01 के द्वारा बी.एस.पी. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार के. 2 भिलाई, पं. क्र. 2211, संस्था का परिसमापक श्री एन. एस. ठाकुर, सहकारी निरी. दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री एन. एस. ठाकुर के सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. के. महिलांगे, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/701.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1615 दिनांक 22-8-2000 के द्वारा इन्डस्ट्रीयल मजदूर सहकारी समिति मर्या., भिलाई, पं. क्र. 2598, संस्था का परिसमापक श्री एस. डी. तिवारी, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री एस. डी. तिवारी सह. निरी. का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एच. आर. साहू, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 2-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 12 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/738.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1001 दिनांक 31-3-86 के द्वारा वृहद उद्वहन सहकारी समिति मर्या., जमराव, पं. क्र. 1806, संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधि. पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर, स.वि.अ. का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री डी. डी. विश्वास, सनि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 12-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 12 जून 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/739.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3310 दिनांक 22-10-91 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरसाकला, पं. क्र. 2307, संस्था का परिसमापक, एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर, स.वि.अ. का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनिरुध मुखर्जी, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 12-6-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2014/1029.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु./परि./1296 दिनांक 02-11-2012 के द्वारा एस. पी. श्री को-आप. केन्टीन मर्या., बी.एस.पी. भिलाई, पं. क्र.1899 के परिसमापक श्री बी. एल. राणा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री बी. एल. राणा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग का स्थानांतरण उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कवर्धा हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. आर. गजभिये, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को एस.पी. श्री को-आप. केन्टीन मर्या., बी.एस.पी. भिलाई, पं. क्र. 1899 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 3-9-14 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

डी. एल. राम,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/परिसमापक/उप अंकेक्षक/2014/870.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिवाजी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या., मोहतरा	2584	300/25-03-2014	आर. के. यादव
2.	पवन प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या., गदहाभाठा	2586	301/25-03-2014	—,,—
3.	पूजा प्राथ. सह. उप. भ. मर्या., गिरसा	2588	303/25-03-2014	—,,—
4.	आरती प्राथ. सह. उप. भ. मर्या., सलिहाघाट	2589	304/25-03-2014	—,,—
5.	अभ्युदय प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. ओड़काकंन	2592	305/25-03-2014	—,,—
6.	आदर्श प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. सेमरिया (मिनौदा)	2593	306/25-03-2014	—,,—
7.	श्री बजरंग प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या., सोनियाडीह	2598	308/25-03-2014	—,,—
8.	जय मां सांकरा प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या., परसाडीह	2610	312/25-03-2014	—,,—

अतएव छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 15-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

आर. के. यादव,
परिसमापक.

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/परिसमापक/व.स.नि. 1/2014/872.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महामाया प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. लवन	2536	284/25-03-2014	एम. आर. ध्रुव
2.	मां त्रिदेवी प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., अचानकपुर	2560	292/25-03-2014	—,,—
3.	जय छ.ग. प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., सुढ़ेला	2568	294/25-03-2014	—,,—
4.	रानी दमयंती प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., ढनढनी	2578	298/25-03-2014	—,,—
5.	श्रीराम प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. पांहदा (कंजी)	2628	318/25-03-2014	—,,—
6.	अरूणोदय मजदूर सहकारी समिति मर्या. रवान	2177	209/5-03-2014	—,,—
7.	कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बलौदाबाजार	73	210/5-03-2014	—,,—

अतएव छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वतः विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 15-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

एम. आर. ध्रुव,
व.स.नि. एवं परिसमापक.

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/परिसमापक/व.स.नि./2014/874.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छ.ग. प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या., कसडोल	2476	282/25-03-2014	श्री जी. सूर्यनारायण
2.	गंगा प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या., टुण्डरा	2616	313/25-03-2014	—,,—
3.	बिलाईमाता प्राथ. सह. उप. भ. मर्या., कसडोल	2618	315/25-03-2014	—,,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	ज्वाला छ.ग. प्राथ. सह. उप. भ. मर्या., कसडोल	2619	316/25-03-2014	श्री जी. सूर्यनारायण
5.	मछुवा सहकारी समिति मर्या., कसडोल	1814	263/25-03-2014	—,,—
6.	महामाया मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कसडोल	2163	264/25-03-2014	—,,—
7.	जय बंजारी मत्स्य सहकारी समिति मर्या. गजराडीह	2541	265/25-03-2014	—,,—

अतएव छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 15-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

जी. सूर्यनारायण,
व.स.नि. एवं परिसमापक.

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/परिसमापक/उप अंकेक्षक/2014/875.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ज्योति महिला कामगार सहकारी समिति मर्या., लिमतरा	2335	276/25-03-2014	जे. के. टण्डन
2.	जनवादी श्रमिक पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. हिरमी	2418	279/25-03-2014	—,,—
3.	शहीद भगतसिंह पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., गिधपुरी	2662	281/25-03-2014	—,,—
4.	मां मंशादेवी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. कुकदा	2547	287/25-03-2014	—,,—
5.	मां छोटी मंशादेवी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या., तेलासी	2556	290/25-03-2014	—,,—
6.	श्याम प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या. मुड़पार (सण्डी)	2559	291/25-03-2014	—,,—
7.	महानदी प्राथ. सहकारी उप. भ. मर्या., पलारी	2623	317/25-03-2014	—,,—
8.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., वटगॅन	2218	353/31-03-2014	—,,—
9.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या. कुसमी	2131	354/31-03-2014	—,,—

अतएव छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 15-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

जे. के. टण्डन,
परिसमापक/उप अंके.

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/परिसमापक/उप अंकेक्षक/2014/877.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जागृति महिला पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., भालूकोना	2332	275/25-03-2014	आर. एल. देवांगन
2.	भारत मजदूर महिला पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., परसापाली.	2440	272/25-03-2014	—,,—
3.	सोनाडीह सीमेंट वर्क्स वेल्फेयर सह. समिति मर्या., सोनाडीह	2357	277/25-03-2014	—,,—
4.	कौशलपुर मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या, कोलिहा	2055	266/25-03-2014	—,,—
5.	मजदूर पत्थर बोल्डर उत्खनन सहकारी समिति मर्या., भेरुवाडीह	224	270/25-03-2014	—,,—
6.	मां मावलीमाता प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोथीडीह	2545	285/25-03-2014	—,,—
7.	मां राजेश्वरी प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., सूमा	2570	295/25-03-2014	—,,—
8.	मारूत प्राथ. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या. चिचपोल.	2587	302/25-03-2014	—,,—

अतएव छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 15-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

आर. एल. देवांगन,
परिसमापक/उप अंके.

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/परिसमापक/अंकेक्षण अधिकारी/2014/880.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मौली बुनकर सहकारी समिति मर्या., भाटापारा	1998	208/5-03-2014	ए. आर. ध्रुव
2.	सूर्यप्रकाश ईंधनपूर्ति सहकारी समिति मर्या., भाटापारा	2216	392/21-04-2014	—,,—

अतएव छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 15-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

ए. आर. ध्रुव,
परिसमापक एवं अंकेक्षण
अधिकारी.

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/परिसमापक/उप अंकेक्षक/2014/881.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर	1790	772/08-08-2014	डी. के. भारद्वाज
2.	सुंदरफर्शी खदान औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., खपरीडीह	2265	773/08-08-2014	—,,—
3.	जय मां दुर्गा रेत खदान सहकारी समिति मर्या., हरदी	2661	794/19-08-2014	—,,—
4.	विमुक्त बंधुवा मजदूर दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., डुमरपाली	2261	775/08-08-2014	—,,—
5.	महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गोलाझर	2671	774/08-08-2014	—,,—
6.	ओम नम: शिवाय प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., चांदन	2581	776/08-08-2014	—,,—
7.	जय ओम नम: शिवाय प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., अर्जुनी (बल्दा).	2595	777/08-08-2014	—,,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	मां अन्नापूर्णा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., खपरीडीह (कुम्हारी)	2600	778/08-08-2014	डी. के. भारद्वाज
9.	जनसेवा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., देवपुर	2604	779/08-08-2014	—,,—
10.	लड्डू गोपाल प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., राजादेवरी	2617	780/08-08-2014	—,,—

अतएव छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 15-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

डी. के. भारद्वाज,
परिसमापक/उप अंके.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया

बैकुण्ठपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्रमांक/स.प.स./परि./2014/382.—छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) (ख) के तहत निम्न समितियों को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था. समितियों द्वारा समयावधि समाप्त होने के बाद भी अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं एम. एक्का, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां बैकुंठपुर, जिला कोरिया छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/04/रायपुर दिनांक 4 मई 2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न समितियों (कालम-2) को परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा 70(1) के तहत कालम 4 में अंकित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खनिज सहकारी समिति मर्या., चेरवापारा	1931/30-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
2.	खनिज सहकारी समिति मर्या., खोड़	1932/24-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
3.	ग्राम विकास खनिज सहकारी समिति मर्या., समजीर	1933/24-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
4.	जयशंकर खनिज सहकारी समिति मर्या., माडी	1934/24-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
5.	रेत खनिज सहकारी समिति मर्या., एटगा	1937/24-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
6.	नवयुवक रेत खनिज सहकारी समिति मर्या., पीपरडांड़	1938/24-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
7.	खनिज सहकारी समिति मर्या., वकीरा	1940/31-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
8.	पण्डो विकास खनिज सहकारी समिति मर्या., शंकरपुर	1994/21-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
9.	खनिज सहकारी समिति मर्या., कुड़ेली	1946/31-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
10.	खनिज सहकारी समिति मर्या., बस्ती	1949/31-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
11.	खनिज सहकारी समिति मर्या., चेर	1984/25-12-97	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
12.	शिवाजी रेत खनिज सहकारी समिति मर्या., डुमरिया	1947/05-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	आदिवासी रेत ख निज सहकारी समिति मर्या., मने.	15/11-07-2002	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
14.	आदिवासी रेत ख निज सहकारी समिति मर्या., डोमना.	1953/31-12-96	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
15.	खनिज सहकारी समिति मर्या., मनेन्द्रगढ़	1911/05-01-96	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
16.	खनिज सहकारी समिति मर्या., खोगापानी	1965/27-01-97	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
17.	कोड़कू खनिज स हकारी समिति मर्या., नरकेली	2002/24-05-97	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
18.	रेत खनिज सहक ारी समिति मर्या., सिरौली	1900/04-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
19.	खनिज सहकारी समिति मर्या., हस्तिनापुर	1910/04-10-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
20.	आदिवासी खनि ज सहकारी समिति मर्या., रजौली	2005/24-05-97	जयपाल/व.स.नि.
21.	खनिज सहकारी समिति मर्या., विशुनपुर	1912/05-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
22.	चरचा रेत खनिज सहकारी समिति मर्या., शिवपुर	1913/05-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
23.	शारदा खनिज स हकारी समिति मर्या., कसरा	1914/10-03-97	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
24.	गायत्री रेत खनिज सहकारी समिति मर्या., सावारावां	1915/15-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
25.	ग्रामोदय खनिज सहकारी समिति मर्या., जमगहना	1916/05-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
26.	रेत खनिज सहक ारी समिति मर्या., टेगनी	1923/23-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
27.	रेत खनिज सहक ारी समिति मर्या., गिरजापुर	1924/23-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
28.	रेत खनिज सहक ारी समिति मर्या., कंचनपुर	1930/23-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
29.	रेत खनिज सहक ारी समिति मर्या., सोरगा	1929/13-12-96	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
	मदिरालय सहकारी समिति		
1.	प्राथमिक मदिरालय सह. समिति मर्या., बैकुण्ठपुर	2027/14-11-97	श्री शैलेन्द्र गुप्ता/स.वि.अधि.
2.	प्राथमिक मदिरालय सह. समिति मर्या., वेस्ट चिरमिरी	2021/16-09-97	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
3.	प्राथमिक मदिरालय सह. समिति मर्या., बैकुण्ठपुर	2024/15-01-97	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
4.	हसदेव मदिरालय सह. समिति मर्या., खोगापानी	2025/18-01-97	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
	कामगार सहकारी समिति		
1.	डां. अम्बेडकर साफ सफाई कामगार सह. समिति मर्या., चिरमिरी.	03/12-05-2000	श्री विजय भगत/व.स.नि.
2.	हरिजन जाति डं ार बेरोजगार युवक साफ सफाई कामगार सह. समिति मर्या., गोदरीपारा, चिरमिरी.	06/19-10-2000	श्री विजय भगत/व.स.नि.
3.	महिला कल्याण कामगार सह. समिति मर्या., कपूर दफाई छोटाबाजार, चिरमिरी.	72/06-05-2008	श्री विजय भगत/व.स.नि.
4.	सामुदायिक कामगार सह. समिति मर्या., खोगापानी	19/24-12-2002	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
5.	सामुहिक कामगार सह. समिति मर्या., खोगापाली	18/24-12-2002	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
6.	शिक्षित युवा कामगार सह. समिति मर्या., मनेन्द्रगढ़	13/31-03-2001	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
7.	मितान कामगार सह. समिति मर्या., खोगापानी	17/24-12-2002	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
8.	कोलाचल सामु क कामगार सह. समिति मर्या., खोगा.	21/07-08-2003	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
9.	हरिजन विकास कामगार सह. समिति मर्या. आमाखेरवा मनेन्द्रगढ़.	23/05-08-2004	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
10.	नवदीप कामगार सह. समिति मर्या., डोमनहिल	02/10-03-2003	श्री विजय भगत/व.स.नि.
	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति		
1.	गायत्री दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., गिरजापुर	38/06-06-2005	रवीन्द्रनाथ पैकरा/आंकेक्षण अधि.
2.	मधुवन दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पोड़ीडील	41/04-03-2006	रवीन्द्रनाथ पैकरा/आंकेक्षण अधि.
3.	दुग्गी दाई दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सलवा	61/19-06-2007	रवीन्द्रनाथ पैकरा/आंकेक्षण अधि.
4.	यशोदा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सलका	59/19-06-2007	रवीन्द्रनाथ पैकरा/आंकेक्षण अधि.
5.	जय मां दुर्गे दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., तोलगा	62/19-06-2007	श्री विजय भगत/व.स.नि.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	बोलबम दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कटकोना	71/15-02-2008	श्री विजय भगत/व.स.नि.
7.	श्वेता दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सरभोका	26/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
8.	गोपाल दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मंजा	27/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
9.	जय मां दुर्गे दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सकरिया	58/19-06-2007	रवीन्द्रनाथ पैकरा/आंकेक्षण अधि.
10.	वावाबहेरा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., बंसलपुर	60/19-06-2007	रवीन्द्रनाथ पैकरा/आंकेक्षण अधि.
11.	कृष्णा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., बुढ़ार	29/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
12.	राजीव गांधी दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कोरिया कालरी	36/06-06-2005	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
13.	मां लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कोरिया	37/06-06-2005	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
14.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., बजारीडांड	43/04-03-2005	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
15.	सादवी दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., गेल्हापानी	44/04-03-2006	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
16.	गिरजा दुग्ध उत्पादक सह समिति मर्या., ढगगांव	45/04-03-2006	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
17.	कान्हा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कोथारी	42/04-03-2006	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
18.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., केल्हारी	31/11-07-2012	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
19.	जयबाबा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., अवरापारा	23/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
20.	आदर्श दुग्ध उत्पादक सह. समित मर्या., कंचनपुर	31/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
21.	गोवर्धन दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मानपुर	32/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
22.	शिवम दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., अंजोकली	33/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
23.	कामधेनु दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कसरा	34/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
24.	कपिला दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कुडेली	35/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
25.	महामाया दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सावारावां	39/04-03-2006	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
26.	मां अंगार मोती दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., अंमरपुर	68/06-12-2007	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
27.	जय श्री कृष्णा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मंडल पारा	79/11-07-2012	रविन्द्रनाथ पैकरा/अंकेक्षण अधि.
28.	जय मां दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., तरगंवा	80/11-07-2012	रविन्द्रनाथ पैकरा/अंकेक्षण अधि.
29.	शिवबाबा दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कुशमाहा	67/06-12-2007	रविन्द्रनाथ पैकरा/अंकेक्षण अधि.
30.	मां चंडिका दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., नवगई	69/06-12-2006	जयपाल एक्का/व.स.नि.
31.	विकास दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., करहियाखाड़	28/30-10-2004	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.

कृषि उत्पादक सहकारी समिति

1.	आदर्श सब्जी फल फूल उत्पादक सह. समिति मर्या. बैकुण्ठपुर	1898/16-10-96	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.
2.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., बैकुण्ठपुर	05/30-09-2000	श्री अशोक कुमार/व.स.नि.

मछली सहकारी समिति

1.	अनुसूचित जाति मछुआ सह. समिति मर्या., खोगापानी	1598/17-01-97	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
2.	मितान मछुआ सह. समिति मर्या., हरी	01/04-02-2000	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
3.	मछुआ सह. समिति मर्या., मनेन्द्रगढ़	14/13-06-2001	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
4.	आदिवासी मछुआ सह. समिति मर्या., जनकपुर	1586/24-06-86	श्री विजय भगत/व.स.नि.
5.	आदिवासी मछुआ सह. समिति मर्या., रजौली	1500/11-03-92	जयपाल एक्का/व.स.नि.

महिला बहुउद्देशीय

1.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., नारायणपुर	50/03-04-2006	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
2.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., बंजी	53/12-04-2006	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
3.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., बोरीडांड	57/22-04-2006	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
4.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., उधनापुर	56/13-04-2006	श्री विजय भगत/व.स.नि.

(1)	(2)	(3)	(4)
अन्य समिति			
1.	साउथ भुगराखाड़ कालरी वर्कर्स को. आप. स्टोर एण्ड केडिट सोसायटी मर्या., भुगराखाड़.	869/15-12-1959	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
2.	कृपक कल्याण सहकारी समिति मर्या., केल्हारी	65/22-11-2007	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
3.	काष्टकला उद्योग सह. समिति मर्या., घाघरा	1173/23-03-61	श्री विजय भगत/व.स.नि.
4.	महिला प्रिंटिंग प्रेस सह. समिति मर्या., बै. पुर	2047/17-09-98	रवीन्द्रनाथ पैकरा/आंकेक्षण अधि.
5.	परिवहन उद्योग सह. समिति मर्या., मनेन्द्रगढ़	2019/03-09-97	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.
6.	प्राथमिक लघु वनोपज प्रसंस्करण सह. समिति मर्या., मनेन्द्रगढ़	66/29-03-2006	श्री विद्यमान सिंह/व.स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 06-08-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एम. एक्का,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.